प्रेषक,

एस0पी0 सिंह,

उप सचिव,

उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,

चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण,

उ0प्र0 लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-1 **लखनऊ : दिनांक** 01 मार्च **2024**

विषय:-वित्तीय वर्ष 2023-24 में राजकीय मेडिकल कालेज, कानपुर एवं सम्बद्ध चिकित्सालय, कानपुर हेतु विभिन्न मानक मदों में पुनर्विनियोग के माध्यम से स्वीकृत धनराशि की वित्तीय स्वीकृति।

महोदया,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-एमई/बजट/2023-24/782, दिनॉक 09.01.2024 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा वित्तीय वर्ष 2023-24 में राजकीय मेडिकल कालेज, कानपुर एवं सम्बद्ध चिकित्सालय, कानपुर हेतु विभिन्न मानक मदों में कुल रू0 841.00 लाख पुनर्विनियोग के माध्यम से स्वीकृत किये जाने पर विचार किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2023-24 में अनुदान संख्या-31 के अंतर्गत राजस्व पक्ष के लेखाशीर्षक-2210-05-105-03-39-गणेश शंकर विद्यार्थी स्मारक मेडिकल कालेज, कानुपर हेतु पुनर्विनियोग के माध्यम से स्वीकृत धनराशि **रू0 156.00 लाख एवं** लेखाशीर्षक-2210-01-110-15-03- लाला लाजपत राय चिकित्सालय तथा सम्बद्ध बाल चिकित्सालय, कानपुर हेतु 160.00 लाख, इस प्रकार **कुल रू0 316.00 लाख (रू0 तीन करोड़ सोलह लाख मात्र)** की वित्तीय स्वीकृति (संलग्न प्रपत्र बीएम-9 के अनुसार) निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन राज्यपाल महोदय सहर्ष प्रदान करते है:-

नियम व शर्ते/प्रतिबन्धों-

1. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 17 मार्च, 2023 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
2. बजट प्राविधान के सापेक्ष धनराशि की उपलब्धता का दायित्व महानिदेशक, चि0शि0 का होगा। स्वीकृत धनराशि का उपयोग उसी मद में किया जाएगा, जिसके लिए स्वीकृति दी गयी है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

3. जिस मद से पुनर्विनियोग प्रस्तावित किया गया है, उस मद में अतिरिक्त धनराशि की माँग महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण द्वारा वित्तीय वर्ष 2023-24 में नहीं की जायेगी।
4. स्वीकृत धनराशि का पूर्ण उपभोग वर्तमान वित्तीय वर्ष 2023-24 में दिनांक 31 मार्च, 2024 तक कर लिया जायेगा।

3- इस संबंध में होने वाला

लेखाशीर्ष: 2210011101503 (लालालाजपत राय चिकित्सालय तथा सम्बद्ध बाल चिकित्सालय कानपुर)

	अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	प्रस्तावित धनराशि
1	031	2210011101503 लालालाजपत राय चिकित्सालय तथा सम्बद्ध बाल चिकित्सालय कानपुर	29 अनुरक्षण	1,00,00,000 (रुपये एक करोड़ मात्र)
2	031	2210011101503 लालालाजपत राय चिकित्सालय तथा सम्बद्ध बाल चिकित्सालय कानपुर	41 भोजन व्यय	10,00,000 (रुपये दस लाख मात्र)
3	031	2210011101503 लालालाजपत राय चिकित्सालय तथा सम्बद्ध बाल चिकित्सालय कानपुर	58 आउट सोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान	50,00,000 (रुपये पचास लाख मात्र)
	कुल			**1,60,00,000 (रुपये एक करोड़ साठ लाख मात्र)**

लेखाशीर्ष: 2210051050339 (गणेश शंकर विद्यार्थी स्मारक मेडिकल कालेज कानपुर)

	अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	प्रस्तावित धनराशि
1	031	2210051050339 गणेश शंकर विद्यार्थी स्मारक मेडिकल कालेज कानपुर	15 गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद	1,00,000 (रुपये एक लाख मात्र)

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

2	031	2210051050339 गणेश शंकर विद्यार्थी स्मारक मेडिकल कालेज कानपुर	16 व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	40,00,000 (रुपये चालीस लाख मात्र)
3	031	2210051050339 गणेश शंकर विद्यार्थी स्मारक मेडिकल कालेज कानपुर	18 प्रकाशन	5,00,000 (रुपये पांच लाख मात्र)
4	031	2210051050339 गणेश शंकर विद्यार्थी स्मारक मेडिकल कालेज कानपुर	19 विज्ञापन, बिक्री और विख्यापन व्यय	5,00,000 (रुपये पांच लाख मात्र)
5	031	2210051050339 गणेश शंकर विद्यार्थी स्मारक मेडिकल कालेज कानपुर	29 अनुरक्षण	1,00,00,000 (रुपये एक करोड़ मात्र)
6	031	2210051050339 गणेश शंकर विद्यार्थी स्मारक मेडिकल कालेज कानपुर	49 चिकित्सा व्यय	5,00,000 (रुपये पांच लाख मात्र)
	कुल			**1,56,00,000 (रुपये एक करोड़ छप्पन लाख मात्र)**
महायोग				3,16,00,000 (रुपये तीन करोड़ सोलह लाख मात्र)

के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या 2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023, दिनांक -17-मार्च, 2023 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

संलग्नक-यथोक्त।

भवदीय,

Digitally Signed by सत्य प्रकाश सिंह
Date: 29-02-2024 18:34:56
Reason: Approved

(एस० पी० सिंह)
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या व तद्यदिनांक-उपर्युक्तानुसार।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार, उ0प्र0, प्रयागराज।
2. प्रधानाचार्य, राजकीय मेडिकल कालेज, कानपुर।
3. वित्त नियंत्रक, निदेशालय, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।
4. वित्त नियंत्रक, मेडिकल कालेज, कानपुर।
5. नोडल अधिकारी, बजट एलाटमेण्ट सिस्टम, चिकित्सा शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।
6. वरिष्ठ कोषाधिकारी, कानपुर।
7. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2, वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3 उ0प्र0 शासन।
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से

(एस0 पी0 सिंह)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

2729229/2024/ -1

बी एम-9 (भाग- 1)

पुनर्विनियोग के लिए आवेदन / स्वीकृति

(संदर्भ : बजट मैनुअल का प्रस्तर-158)

A071-2023-24-71-1001-099-485-2021

विषय:- वित्तीय वर्ष 2023-24 में राजकीय मेडिकल कालेज, कानपुर हेतु विभिन्न मदों में पुनर्विनियोग के माध्यम से धनराशि स्वीकृत किये जाने के सम्बन्ध में।

निम्नलिखित निधियो से प्रस्तावित संक्रमण

अनुदान संख्या	लेखाशीर्ष	मानक मद	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध अनुदान विनियोग /	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध बचत	संक्रमित की जाने वाली धनराशि	संक्रमण के पशचात् शेष अनुदान / विनियोग	वित्तीय वर्ष
031	2210011101503 (लालालाजपत राय चिकित्सालय तथा सम्बद्ध बाल चिकित्सालय कानपुर (	01 (वेतन(	18,00,00,000 रुपये अठारह करोड़ मात्र	3,50,00,000 रुपये तीन करोड़ पचास लाख मात्र	3,50,00,000 रुपये तीन करोड़ पचास लाख मात्र	14,50,00,000	2023-2024
031	2210051050373 (राजकीय मेडिकल कालेज, कानपुर, मेरठ , आगरा, झांसी,गोरखपुर एवं प्रयागराज में ट्रामा केन्द्र का संचालन (	01 (वेतन(	7,41,40,000 रुपये सात करोड़ इकतालीस लाख चालीस हजार मात्र	50,00,000 रुपये पचास लाख मात्र	-50,00,000 रुपये पचास लाख मात्र	6,91,40,000	2023-2024
031	2210011101503 (लालालाजपत	03 (मंहगाई	8,10,00,000 रुपये आठ करोड़	2,80,00,000 रुपये दो	2,80,00,000	5,30,00,000	2023-2024

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

2729229/2024/ -1

	राय चिकित्सालय तथा सम्बद्ध बाल चिकित्सालय कानपुर (	भत्ता(	दस लाख मात्र	करोड़ अस्सी लाख मात्र	रुपये दो करोड़ अस्सी लाख मात्र		
031	2210011101505 (वक्ष चिकित्सालय कानपुर (	03 (मंहगाई भत्ता(	1,75,50,000 रुपये एक करोड़ पचहत्तर लाख पचास हजार मात्र	93,00,000 रुपये तिरानवे लाख मात्र	-93,00,000 रुपये तिरानवे लाख मात्र	82,50,000	2023-2024
031	2210051050373 (राजकीय मेडिकल कालेज, कानपुर, मेरठ , आगरा, झांसी,गोरखपुर एवं प्रयागराज में ट्रामा केन्द्र का संचालन (	03 (मंहगाई भत्ता(	3,28,63,000 रुपये तीन करोड़ अट्ठाईस लाख त्रेसठ हजार मात्र	10,00,000 रुपये दस लाख मात्र	-10,00,000 रुपये दस लाख मात्र	3,18,63,000	2023-2024
031	2210051050373 (राजकीय मेडिकल कालेज, कानपुर, मेरठ , आगरा, झांसी,गोरखपुर एवं प्रयागराज में ट्रामा केन्द्र का संचालन (	58 (आउट सोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान (	10,95,00,000 रुपये दस करोड़ पंचानबे लाख मात्र	58,00,000 रुपये अट्ठावन लाख मात्र	-58,00,000 रुपये अट्ठावन लाख मात्र	10,37,00,000	2023-2024

निम्नलिखित निधियों मे प्रस्तावित संक्रमण

अनुदान संख्या	लेखाशीर्ष	मानक मद	वित्तीय वर्ष के लिए उपलब्ध / विनियोग	संक्रमण हेतु प्रस्तावित धनराशि	संक्रमण के पशचात् शेष अनुदान / विनियोग	वित्तीय वर्ष

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

2729229/2024/ -1

031	2210051050339 (गणेश शंकर विद्यार्थी स्मारक मेडिकल कालेज कानपुर (	15 (गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद(	3,50,000 रुपये तीन लाख पचास हजार मात्र	1,00,000 रुपये एक लाख मात्र	4,50,000	2023-2024
031	2210011101503 (लालालाजपत राय चिकित्सालय तथा सम्बद्ध बाल चिकित्सालय कानपुर (	29 (अनुरक्षण(	55,00,000 रुपये पचपन लाख मात्र	1,00,00,000 रुपये एक करोड़ मात्र	1,55,00,000	2023-2024
031	2210051050339 (गणेश शंकर विद्यार्थी स्मारक मेडिकल कालेज कानपुर (	16 (व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान(	1,11,00,000 रुपये एक करोड़ ग्यारह लाख मात्र	40,00,000 रुपये चालीस लाख मात्र	1,51,00,000	2023-2024
031	2210011101503 (लालालाजपत राय चिकित्सालय तथा सम्बद्ध बाल चिकित्सालय कानपुर (	41 (भोजन व्यय(	1,00,00,000 रुपये एक करोड़ मात्र	10,00,000 रुपये दस लाख मात्र	1,10,00,000	2023-2024
031	2210051050339 (गणेश शंकर विद्यार्थी स्मारक मेडिकल कालेज कानपुर (	18 (प्रकाशन(	70,000 रुपये सत्तर हजार मात्र	5,00,000 रुपये पाँच लाख मात्र	5,70,000	2023-2024
031	2210051050339 (गणेश शंकर विद्यार्थी स्मारक मेडिकल कालेज कानपुर (	19 (विज्ञापन, बिक्री और विख्यापन व्यय(	70,000 रुपये सत्तर हजार मात्र	5,00,000 रुपये पांच लाख मात्र	5,70,000	2023-2024
031	2210051050339 (गणेश शंकर विद्यार्थी स्मारक	29 (अनुरक्षण(	80,00,000 रुपये अस्सी लाख मात्र	1,00,00,000 रुपये एक करोड़ मात्र	1,80,00,000	2023-2024

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

	मेडिकल कालेज कानपुर (					
031	2210011101503 (लालालाजपत राय चिकित्सालय तथा सम्बद्ध बाल चिकित्सालय कानपुर (	58 (आउट सोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान (	2,72,00,000 रुपये दो करोड़ बहत्तर लाख मात्र	50,00,000 रुपये पचास लाख मात्र	3,22,00,000	2023-2024
031	2210051050339 (गणेश शंकर विद्यार्थी स्मारक मेडिकल कालेज कानपुर (	49 (चिकित्सा व्यय(	30,00,000 रुपये तीस लाख मात्र	5,00,000 रुपये पाँच लाख मात्र	35,00,000	2023-2024

कृपया उपर्युक्त प्रस्ताव पर निम्नलिखित शर्तो के अधीन प्रशासकीय विभाग को अनुमोदन देना चाहें:-

1- स्तम्भ-3 में उपलब्ध बचत का कारण निम्नानुसार है:-

प्रधानाचार्य, मेडिकल कालेज, कानपुर के पत्र दिनांक 06.01.2024 द्वारा अवगत कराया है कि वित्तीय वर्ष 2023-24 में अनुदान संख्या-31 के अंतर्गत राजस्व पक्ष में विभिन्न मानक मदों में उक्तानुसार प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष रू0 841.00 लाख की बचत सम्भावित है।

2- स्तम्भ-8 में उल्लिखित उपलब्ध अनुदान के सापेक्ष स्तम्भ-9 में अंकित अधिक व्यय निम्नलिखित कारणों से है:-

वित्तीय वर्ष 2023-24 में मेडिकल कालेज, कानपुर में गाड़ियों के अनुरक्षण, डीजल पेट्रोल आदि के क्रय हेतु तथा प्रधानाचार्य द्वारा उपयोग में लायी जाने वाली एम्बेसडर कार काफी पुरानी होने के कारण प्रायः खराब रहने व उचित कलपुर्जे न मिल पाने के कारण रिपेयरिंग में होने वाले विलम्ब को देखते हुए प्रधानाचार्य हेतु किराये पर लिये जाने वाले वाहन के भुगतान हेतु मानक मद-15-गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद हेतु रू0 1.00 लाख, विभिन्न विभागों में एन0एम0सी0 के निरीक्षण शुल्क, सम्बद्धता शल्क, विधिक कार्य/चार्टेड एकाउंटेंट आदि के भुगतान हेतु मानक मद-16-व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान हेतु रू0 40.00 लाख, समय समय पर विभिन्न समाचार पत्रों में प्रकाशित करायी गयी सूचनाओं के लम्बित देयकों हेतु मानक मद-18-प्रकाशन में रू0 5.00 लाख आई0जी0आर0एस0 पोर्टल के माध्यम से शिकायत दर्ज करायी गयी है, के भुगतान हेतु मानक मद-19-विज्ञापन, बिक्री और विख्यापन व्यय में रू0 5.00 लाख, चिकित्सा महाविद्यालय परिसर में निर्मित भवन/आवासीय परिसर जो कि काफी पुराने हो चुके है व परिसर में स्थित छात्रावासों/प्रशासनिक भवन/एकेडमिक भवन, पार्क,नलकूप गृह,विद्युत व्यवस्था, पुताई, शौचालयों की मरम्मत इत्यादि आवश्यक कार्यो हेतु मानक मद-29-अनुरक्षण हेतु रू0 100.00 लाख, चिकित्सा महाविद्यालय के अधिकारियों/कर्मचारियों एवं उनके आश्रितों के चिकित्सा प्रतिपूर्ति देयकों के भुगतान हेतु मानक मद-49-चिकित्सा व्यय हेतु रू0 5.00 लाख, इस प्रकार मेडिकल कालेज कानपुर हेतु लम्बित देयकों के भुगतान एवं आगामी माह की आवश्यकता के दृष्टिगत रू0 156.00 लाख, लाला लाजपत राय चिकित्सालय

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

तथा सम्बद्ध बाल चिकित्सालय, कानपुर के चिकित्सालय परिसर में 65 वर्षीय पुराने जीर्ण-शीर्ण भवन की मरम्मत, पैचिंग कार्य, पुताई, विद्युत लाइनों की मरम्मत हेतु मानक मद-29-अनुरक्षण हेतु रू0 100.00 लाख, चिकित्सालय में भर्ती मरीजों एवं उनके एक तीमारदार को भोजन उपलब्ध कराये जाने हेतु मानक मद-41-भोजन व्यय हेतु रू010.00 लाख, चिकित्सालय के विभिन्न स्थलों, वार्डो, प्रशासनिक परिसर, स्टैण्ड, ओ0पी0डी0 एवं अन्य स्थलों में आउटसोर्सिंग के माध्यम से तैनात कर्मचारियों के मानदेय भुगतान हेतु मानक मद-58-आउट सोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान हेतु रू0 50.00 लाख, इस प्रकार लाला लाजपत राय चिकित्सालय तथा सम्बद्ध बाल चिकित्सालय, कानपुर हेतु लम्बित देयकों के भुगतान एवं आगामी माह की आवश्यकता के दृष्टिगत रू0 160.00 लाख, इस प्रकार मेडिकल कालेज, कानपुर एवं लाला लाजपत राय चिकित्सालय तथा सम्बद्ध बाल चिकित्सालय, कानपुर में लम्बित देयता एवं आगामी माहों की आवश्यकता के दृष्टिगत विभिन्न मानक मदों में कुल रू0 316.00 लाख पुनर्विनियोग के माध्यम से उपलब्ध कराया जाना है।

3- प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त पुनर्विनियोग में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर-150 एवं 151 में निर्दिष्ट प्रतिबन्धों/परिसीमाओं का उल्लघंन नहीं होता है।

संख्याः आर ई-बजट-1-471-2023-24, दिनांक 16 फरवरी, 2024

सेवा में,

महालेखाकार,
(लेखा एंव हकदारी) प्रथम/द्वितीय,
उ0प्र0, प्रयागराज।

(एस0पी0 सिंह)
उप सचिव।

(बृजेन्द्र सिंह)
संयुक्त सचिव।

संख्या/तद्दिनांक, उपर्युक्तानुसार।

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एंव प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।
2. प्रधानाचार्य, राजकीय मेडिकल कालेज, कानपुर।
3. वित्त नियंत्रक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0, लखनऊ।
4. वरिष्ठ कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
5. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2, वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3
6. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(एस0पी0 सिंह)
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।